


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 649

दिनांक: 10/08/09

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 (4) के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से प्राप्त अनुमोदन अनुसार स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30 जून, 2009 के पद क्रमांक (18) के निर्णयानुसार विक्रान्त इन्स्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग एण्ड एडवांस स्टडीज, ग्वालियर को सत्र 2009-2010 के लिए बी.बी.ए.-प्रथम (100 छात्र), बी.सी.ए.-प्रथम(100 छात्र) एवं बी.कॉम.-प्रथम(100 छात्र) पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता कार्यपरिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है -

शर्तें/प्रतिबंध :-

- 1- College must appoint teaching non-teaching staff within 03 months after getting affiliation.
- 2- College must follow statute 28(17) & condition laid down in the approval letter of higher Education.


नोट :- महाविद्यालय दिनांक 30 सितम्बर, 2009 तक निरीक्षण समिति द्वारा लगाई गई शर्तों की पूर्ति करे। अन्यथा आगामी सत्र में महाविद्यालय को सम्बद्धता दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, विक्रान्त इन्स्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग एण्ड एडवांस स्टडीज, ग्वालियर
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक -03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



उप-कुलसचिव(अका.)